



## सम्मानीय न्यायालय राजस्व मंडल गवालियर केंप सागर म.प्र.

तात्पर्य / 3541 / II / 115

1. देवेन्द्र सिंह बल्द औंकार सिंह

2. विजय सिंह बल्द छोटेभाई

दोनो निवासी ग्राम बिछुआ तहसील व जिला सागर म.प्र.

पुनरीक्षणकर्ता

### बनाम

जितेंद्र सिंह बल्द रमेश सिंह

निवासी ग्राम बिछुआ तहसील व जिला सागर

रेस्पाउंट

### पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता पुनरीक्षणकर्तागण

### पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करते हैं :-

पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार जैसीनगर के राजस्व प्रकरण क्र.293 / 12 / 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24.6.2015 से परिवेदित होकर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. यह कि, सम्मानीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि प्रावधान के प्रतिकूल है इस कारण निरस्त किया जाना न्यायहित में है।

2. यह कि रेस्पाउंट जितेंद्र सिंह ने मौजा बिछुआ प.ह.नं. 176 तहसील व जिला सागर स्थित भूमि खसरा नं.299 / 1 रकवा 1.33 खसरा नं. 329 / 1 रकवा 0.33 हेक्ट. के सीमांकन हेतु आवेदन पत्रराजस्व निरीक्षक जैसीनगर तहसील व जिला सागर को दिया था। किंतु राजस्व निरीक्षक ने विधि विरुद्ध तरीके से सीमांकन की कार्यवाही की है। पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है ना ही सीमांकन के बारे में नोटिस ही जारी किया है। इस कारण राजस्व निरीक्षक जैसीनगर द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही अवैध है जो निरस्त किया जाना न्यायहित में है।

3. यह कि, सीमांकन की कार्यवाही में लगे हुये भूमि के भूमिस्वामी को सूचना देना आवश्यक है सीमांकन दूसरे पक्षकार के समक्ष किया जाना आवश्यक होता है। किंतु राजस्व निरीक्षक ने समस्त कार्यवाही रेस्पाउंट की हितपद्धता में की है जिसकी कोई सूचना पुनरीक्षणकर्ता को नहीं दी है। जितेंद्र सिंह का मौजा बिछुआ पटवारी हल्का नं. 176 तहसील व जिला सागर स्थित भूमि खसरा नं. 299 / 1, 329 / 1 पर कोई स्वामित्व व

देखेंटु मिठू

10 SEP 2015



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3441-II/15

जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-2-2016	<p>प्रकरण क्रमांक 3440-दो/15 में मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।</p> <p>2/ इसके आधार पर मैं निम्न बिन्दु प्रकरण में प्रमुखता से टीप योग्य पाता हूँ :-</p> <p>(क) अनावेदक के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र में सीमावर्ती कृषकों का ब्यौरा नहीं दिया गया है, जबकि धारा 129 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता के अधीन बने नियमों के अनुसार सीमांकन के आवेदन में सीमावर्ती कृषकों का ब्यौरा दिया जाना आवश्यक है।</p> <p>(ख) प्रकरण की आदेश पत्रिका एवं आक्षेपित आदेश में कहीं भी सूचना पत्र या सूचना दिए जाने का जिक नहीं है। ना ही प्रकरण में सूचना पत्र की प्रति उपलब्ध है। इसके प्रकाश में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि सीमावर्ती कृषकों को सूचना पत्र ठीक से जारी नहीं हुआ या फिर जारी ही नहीं हुआ।</p> <p>(ग) पंचनामे में उपस्थित कृषकों के हस्ताक्षर कराए जाने का लेख है, सीमावर्ती कृषकों का नहीं। पंचनामे का मसौदा पूर्व से लिखा प्रतीत हो रहा है, जिसमें आवेदक के नाम, खसरा नंबर, रकबा, दिनांक आदि की रिक्त स्थानों में पूर्ति की गई है। चूंकि पंचनामा मूल स्वरूप में मौके पर ही तैयार किया जाना चाहिए, अतः इस प्रकार का पंचनामा स्वीकार्य नहीं प्रतीत होता।</p> <p>(घ) सीमांकन हेतु आवेदित भूमियों के सीमावर्ती कृषक कौन हैं, इसका खुलासा प्रकरण में कहीं नहीं पाया जाता। जबकि सीमावर्ती कृषकों के संबंध में स्पष्टता, उनके सीमावर्ती होने के</p>	

✓

आधारों के साथ, सीमांकन प्रकरण का महत्वपूर्ण अंग है।

उपरोक्त बिन्दुओं एवं विवेचना के प्रकाश में एवं आधार पर, मैं आक्षेपित सीमांकन आदेश को स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ और निरस्त करता हूँ।

यदि आवेदक, धारा 129 के नियमों के अनुसार सीमावर्ती कृषकों के ब्यौरे सहित सीमांकन हेतु आवेदन करें, तो विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण पालन करते हुए नए सिरे से सीमांकन की कार्यवाही की जाए।

आदेश पारित।

पक्षकार सूचित हों।

प्रकरण समाप्त। दा०द० हो।

M✓

22/6  
(आशीष श्रीवास्तव)  
सदस्य